

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 148B/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

रामजी महतो ..... आवेदक/विक्रेता

बनाम

भुवनेश्वर महतो.....क्रेता

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

नांक

1-06-  
2020

विक्रेता :-

रामजी महतो पिता स्व० युधिष्ठिर महतो, ग्राम-पाण्ड्रा,  
थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड),  
जाति-कुर्मी।

क्रेता :-

भुवनेश्वर महतो पिता स्व० खोका महतो, ग्राम-गोपीनाथपुर,  
थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड)  
जाति-कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 19.12.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता भुवनेश्वर महतो पिता स्व० खोका महतो, ग्राम-गोपीनाथपुर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
सोहनडीह	सरायकेला / 172	33	56/अं०	10डि०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 527 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के स्वयं के नाम से नामांतरित भूमि है।
2. बिक्रेता अपने आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-2.40.5एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक जिला एवं जाति-'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

लगातार.....2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।


न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता रामजी महतो पिता स्व० युधिष्ठिर महतो, ग्राम-पाण्ड्रा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता भुवनेश्वर महतो पिता स्व० खोका महतो, ग्राम-गोपीनाथपुर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-10डि० भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,



भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।



26/06/2020

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।